

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Page 10



मि० न० ५/२०२३

३-नवम्बर → पत्तुष सुमन

२३५
२०२५

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जयें वकील ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में अवमानक (sub standard) मिल्क केक (दूध, शक्कर, व ईलाचयी से बना) का विक्रय करना पाया गया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ की धारा २६ की उपधारा (२)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ की धारा ५१ में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः अप्रार्थी श्री श्री प्रत्युष सुमन पुत्र श्री जगन्नाथ सुमन उम्र ३५ साल जाति माली निवासी अदालत के पीछे नसिया जी रोड सांगोद जिला कोटा मैसर्स-मोहित रबडी सेन्टर गांधी चौराहा सांगोद जिला कोटा पर ५०००/- रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जयें संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. नि. कलक्टर
कोटा